(2011) 1 एस. सी. आर 387

बी. एस. कृष्णमूर्ति व अन्य

विरुद्ध

बी. एस. नागराज और अन्य

2010 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2896

14 जनवरी, 2011

(मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, जज)

वैकल्पिक विवादों का निवारणः मध्यस्थता- पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों को शामिल करते हुए विवाद मध्यस्थता द्वारा निपटारा - वकीलों का दायित्व तय किया गया: यह वकीलों का दायित्व है कि वे अपने वकीलों को सलाह दें कि आपसी विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करें। विशेष तौर पर जहां पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों जैसे संबंध के मामले में विवाद हो। अन्यथा मुकदमेबाजी वर्षों, दषकों तक चलेगी - वकील तथा पक्षकारों को महात्मा गांधी द्वारा दी गई सलाह मामले में मानकर मध्यस्थता का सहारा लेना चाहिए। धारा 89 का यही उद्देश्य है। वर्तमान मामले में भाईयों के बीच विवाद था अतः मामला बैंगलौर

मध्यस्थता केन्द्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 के तहत सौंपा गया।

महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक - 'मेरे सत्य के प्रयोग' को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

एस. एल. पी. (सिविल) नं. 2896/2010

(उच्च न्यायालय कर्नाटक, बैंगलौर के आरएफए सं. 1387 (2004) निर्णय व आदेष के सम्बन्ध में।)

जी. वी. चंद्रशेखर, एन. के. वर्मा (अंजना चंद्रशेखर के लिए) याचिकाकर्ता के लिए।

पी. विश्वनाथ शेट्टी, विजय कुमार परदेसी, महेश कुमार, जी. एन. रेड्डी प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया-

आदेश

उपस्थित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया।

यह विवाद भाईयों के बीच है। हमारी राय में इस विवाद को जो पक्षकारों के बीच है, मध्यस्थता से निपटाये जाने का प्रयास होना चाहिए।

इस संबंध में, हम महात्मा गांधी की पुस्तक 'मेरे सत्य के साथ प्रयोग' को उद्धृत करेंगे।

ने देखा कि दादा अब्दुल्ला के मामले के तथ्यों ने इसे वास्तव में बहुत मजबूत बना दिया, और यह कि कानून उसके पक्ष में बने रहने को बाध्य था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि यदि मुकदमेबाजी जारी रहती है तो वह वादी और प्रतिवादी, जो दोनों रिश्तेदार हैं, को बर्बाद कर देगी। जबकि दोनों एक ही षहर के रहने वाले हैं। कोई भी यह नहीं जानता था कि यह विवाद (मुकदमा) कब तक चलेगा। क्या इस मुकदमे को न्यायालय में लगातार लड़ने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए, यह अन्तहीन मुकदमा था तथा इससे दोनों पक्षों का कोई फायदा नहीं है। दोनांे पक्ष यह चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो इस मुकदमे का तत्काल निपटारा हो।

मैंने तैयब सेठ से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि आप मध्यस्थता करवाएं। मैंने उनकोे यह सलाह भी दी कि वे अपने वकील को यह सलाह दें कि ऐसे मध्यस्थ का चयन करें जो दोनों पक्षकारों के विष्वास का हो तथा उसकी नियुक्ति करवायें। ऐसे मामला जल्द निपट जाएगा। वकीलों की फीस इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वे मुवक्किलों के बड़े व्यापारी होते हुए भी सारे रुपये हजम कर रहे थे। इस मुकदमे के कारण मुवक्किलो का सारा ध्यान मुकदमेबाजी पर था और वे अन्य कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षकारों के बीच वैमनस्य बढ़ता जा रहा था तथा पक्षकार वकालत से व वकीलो ंसे परेषान हो चुके थे। दोनों

पक्षों के वकील विधि के प्रष्न अपने अपने मुवक्किलों के पक्ष में उठा रहे थे। मैंने यह भी पहली बार देखा कि जीतने वाला पक्ष कभी भी अपना सारा खर्चा वसूल नहीं कर पाता। कोर्ट फीस नियमावली के तहत एक निर्धारित मात्रा में ही खर्चा अदा किया जाता है।

पक्षकार व पक्षकार के बीच, वकील व मुवक्किल के बीच वास्तविक खर्चा बहुत ज्यादा है। यह उस खर्चे से ज्यादा है जो मैं वहन कर सकता हूँ। मैंने यह महसूस किया कि यह मेरा कर्तव्य है कि दोनों पक्षकारों को साथ लाकर उनसे दोस्ती करुँ एवं मैंने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया कि दोनों में राजीनामा हो जाये और अन्त में तैयब सेठ मान गये। एक मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। विवाद की बहस होने के पश्चात दादा बी. अब्दुल्ला जीत गये।

लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा मुवक्किल अवार्ड की तत्काल क्रियान्विती चाहता था जबकि तैयब सेठ सारी अवार्ड राषि का भुगतान करने मे ंअसमर्थ था। पोरबन्दर मेमन्स, जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनके एक अलिखित कानून लागू था कि दिवालिया होने से अच्छा मृत्यु है। तैयब सेठ के लिए यह असम्भव था कि वे 37,000 रु. व खर्चे की राषि अदा कर देवें। तैयब सेठ का तात्पर्य राषि अदा करने का नहीं था। तथा वह दिवालिया घोषित नहीं होना चाहता था। अतः सिर्फ एक रास्ता बचा कि दादा अब्दुल्ला उसे किष्तों में अदायगी की अनुमति दें। दादा अब्दुल्ला ने यह बात मान ली और तैयब सेठ को एक लम्बी अवधि के लिए किष्तों में

अदायगी की सुविधा दी। मेरे लिए यह मुष्किल था कि मैं किष्तों में अदायगी की सुविधा दूँ, जबकि मध्यस्थता से मामले को निपटाने की सलाह देना मेरे लिए आसान था। लेकिन दोनों पक्ष इस प्रकार के राजीनामे से संतुष्ट थे। दोनों की इस कारण जनता में इज्जत बढ़ गई। मेरी खुषी को बांधा नहीं जा सकता था। मैंने वकालत करना सीखा था। मैंने यह भी सीखा कि मानव प्रकृति कैसे अच्छी होती है तथा लोगों के दिलों में किस प्रकार घर बनाया जाता है। मैं यह समझ पाया कि एक वकील का सही काम पक्षकारों को एक करना है। यह पाठ मेरे दिल में घर कर गया और इस प्रकार घर कर गया कि मेरे 20 साल के वकालत के जीवन में मैंने सैंकड़ों मामलों में राजीनामे कराये। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, न रुपयों का न मेरी आत्मा का।

हमारी राय में, वकीलों को अपने मुवक्किलों को मध्यस्थता को आजमाने की सलाह देनी चाहिए। विवादों को हल करने के लिए विशेष रूप से, जहां पारिवारिक संबंध एवं व्यावसायिक संबंध जैसे संबंध होते हैं, अन्यथा, मुकदमेबाजी वर्षों, दषकों तक चलती है और दोनों पक्ष बर्बाद हो जाते हैं।

इसलिए वकीलों एवं पक्षकारों को महात्मा गांधी की सलाह मानते हुए मध्यस्थता का सहारा लेना चाहिए। यही दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 का उद्देश्य है।

अतः मामले को बैंगलोर मध्यस्थता केन्द्र को भेजा जाता है। सभी पक्षकारों को निर्देष दिया जाता है कि बैंगलोर मध्यस्थ के समक्ष 21.02.2011 को उपस्थित हों।

मामले को मध्यस्थता केंद्र से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सूचीबद्ध किया जाए।

मामला लंबित है।

सी. डी. जी.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।